राज कुमार मौर्य
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
श्री गदाधर आचार्य जनता कालेज,
रामबाग, बिहटा, पटना
B.A. II Year (H) Paper-III (Pol. Science)

विषय → न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)

न्यायिक पुनरावलोकन का आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जहाँ न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा किए हुए कार्यों की संवैधानिकता की जाँच करती है।

भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और इस संविधान की रक्षा का कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम द्वारा किया जाता है।

भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है, इसलिए संसद या विधानसभा के द्वारा निर्मित कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन न कर सके, इसके लिए

Scanned with CamScanner

सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होना आवश्यक है।

चूंकि भारत में एक संघात्मक व्यवस्था है, जहां केन्द्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बटवारा किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण न करें। इसके लिए न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का होना आवश्यक है।

यद्यपि न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है किन्तु न्यायपालिका की इस शक्ति पर कुछ प्रतिबन्ध भी आरोपित किये गए है क्योंकि भारतीय संविधान

Scanned with CamScanner

में न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया गया है।

भारत में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पर ~~कुछ~~ आरोपित किए गए प्रतिबन्ध इस प्रकार हैं –

- निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की जाँच न्यायपालिका नही कर सकती है।
- अन्तर्राज्यीय जल-विवादों का न्यायिक पुनरावलोकन नही किया जा सकता।
- मन्त्रीमण्डल द्वारा राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल को दी गई सलाह का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है।
- संसद की शक्तियों और विशेषाधिकारों की जाँच न्यायपालिका द्वारा नहीं की जा सकती है।
- संसद तथा विधान सभा की प्रक्रिया की वैधानिकता का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को ~~कुछ~~ अपने कार्यों के सम्बन्ध में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है जिनकी

Scanned with CamScanner

जाँच न्यायपालिका द्वारा नहीं की जा सकती है।

– यद्यपि सामान्यतः संविधान की 9वी अनुसूची में शामिल विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नही किया जा सकता है किन्तु I. R. कोइलाहो वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान की नौवी अनुसूची में 1973 के बाद सम्मिलित वे विषय जिनसे संविधान के मूलभूत ढ़ाचे का उल्लंघन होता है, न्यायपालिका उन विषयों पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकती है।

यदि हम अमेरिकी शासन व्यवस्था और भारतीय शासन व्यवस्था में विद्यमान न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का परीक्षण करते है तो हम पाते है कि अमेरिका में "विधि की उचित प्रक्रिया" के सिद्धान्त के कारण अमेरिका में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन के सम्बन्ध

Scanned with CamScanner

में अधिक शक्ति प्राप्त है जबकि भारत में "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के सिद्धान्त के कारण न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन के सम्बन्ध में अमेरिकी शासन व्यवस्था की तुलना में सीमित अधिकार प्राप्त है।

Scanned with CamScanner